कार्यालय : प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर।

पत्रांक : 154 /14–16 जौनपुर : दिनांक : जुलाई, 11 , 2023।

सेवा में,

वन संरक्षक,
वाराणसी वृत्त, वाराणसी।

विषयः– पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा औड़िहार–जौनपुर रेलवे सेक्शन के अतंर्गत रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण में जनपद गाजीपुर (किमी0 1.900 से 10.900 तक) में प्रभावित 6.50572 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 9 वृक्षों/पौधों के पातन तथा जनपद जौनपुर में (किमी0 10.900 से 57.400 तक) प्रभावित 43.41704 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1337 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति अर्थात कुल 49.92276 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 1346 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक–11/1092 आर0ई0सी0/2014/यू0पी0/140 दिनांक 27.05.2023 एवं पत्रांक–सं0–8बी/यू0पी0/07/ 118/2021/एफ0सी0/173 दिनांक 09.06.2023।
आपका पत्रांक– 76/29–1 दिनांक 07.07.2023।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बैठक दिनांक 30.05.2023 को अवगत कराया गया था कि रेलवे स्वामित्व की भूमि जिसे राज्य सरकार द्वारा संरक्षित वन घोषित किया गया है, तथा रेलवे के राइट आफ वे के अन्तर्गत पड़ती है, पर रेलवे एक्ट 1989 की धारा–11 के अनुसार रेल विभाग की परियोजनाओं के निष्पादन एवं अनुरक्षण किये जाने हेतु वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 की धारा–2 के प्राविधान आकर्षित नहीं होगें। इन परियोजनाओं हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत वन विभाग से अनुमति लिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

अतः प्रस्तावक विभाग तथा गाजीपुर वन प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये मानचित्र व प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर (5 प्रतियों में) संलग्नकर संस्तुति सहित निम्न प्रकार आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

s.n	Objection	Replies
a)	"For execution or maintaining of Railway works on Railway owned land within Railway's right of way under section 11 of Railways Act 1989, nowwithstanding the directions of Hon'ble Supreme Court given in the judgment in TN Godavarman Thirumalpad vs Union bank of India, (W.P.C) 202,1995, the need for obtaining the approval of the Central government under section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 will not arise.	विषयगत रेलवे लाइन, रेलवे के स्वामित्व की भूमि है। प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वामित्व सम्बन्धित लैण्ड प्लान तथा सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो मूल में संलग्न है।
b)	These directions are applicable ONLY for execution or maintaining of Railway works on Railway owned land within Railway's right of way under Section 11 of Railway Act 1989 Rest of the cases will be dealt with relevant provisions under Forest (Conservation) Act, 1980."	प्रस्तावक विभाग के अनुसार परियोजना का कार्य रेलवे भूमि के अन्दर ही "Railway Right of way" के अन्तर्गत किया जायेगा, जिसके सन्दर्भ में रेलवे विभाग द्वारा सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रवीन खरे)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,जौनपुर।

संख्या– 154 / समदिनांक।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ, महोदय को उक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

(प्रवीन खरे)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,जौनपुर।

a/c

Scanned with OKEN Scanner